



THE M.P. STATE AGRO-INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.

PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL.

☎ - 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305

email - mpagrohobpl@gmail.com

CORRIGENDUM - II

Dated 19-9-2018

निगम द्वारा आमंत्रित निविदा कं मुख्या /पो.आ. /एसआरएलएम /2018 / 3934 / 5 दिनांक 10.9.2018 दिनांक 10.9.2018 में (परिवहन कार्य प्रति मी.टन /प्रति किलो) मीटर में निम्नानुसार संशोधन किये जाते हैं-

सरल कं	पृष्ठ कं	शर्त कं	वर्तमान विवरण	संशोधित विवरण
1	14	6.2	दर अनुसूची क्रमांक 5 में प्रस्तुत की जाना आवश्यक है। प्रस्तुत की गई दरों में सभी व्यय (टोल, लोडिंग / अनलोडिंग, तुलाई) एवं वर्तमान में लागू सभी कर सम्मिलित रहेंगे। भविष्य में भारत /राज्य शासन अथवा स्थानीय निकायों द्वारा माल परिवहन संबंधी करों में परिवर्तन होने की दशा में दरों को पुनरीक्षित किया जा सकेगा। विभिन्न करों की दरों में परिवर्तन होने पर पर किसी प्रकार की अंतर की राशि की वसूली/भुगतान की राशि का निर्धारण करने के संबंध में प्रबंध संचालक का निर्णय अंतिम हो कर निविदाकार के लिये मान्य होगा।	दर अनुसूची क्रमांक 5 में प्रस्तुत की जाना आवश्यक है। प्रस्तुत की गई दरों में सभी व्यय (टोल, लोडिंग (गैहू) / अनलोडिंग, (पोषण आहार) तुलाई) एवं वर्तमान में लागू सभी कर सम्मिलित रहेंगे। भविष्य में भारत /राज्य शासन अथवा स्थानीय निकायों द्वारा माल परिवहन संबंधी करों में परिवर्तन होने की दशा में दरों को पुनरीक्षित किया जा सकेगा। विभिन्न करों की दरों में परिवर्तन होने पर पर किसी प्रकार की अंतर की राशि की वसूली/भुगतान की राशि का निर्धारण करने के संबंध में प्रबंध संचालक का निर्णय अंतिम हो कर निविदाकार के लिये मान्य होगा।
2	17	10.1.6	परिवहन के कार्य में निगम के बाड़ी सयंत्र से लोडिंग - अनलोडिंग, प्रदाय स्थल तक सुरक्षित परिवहन एवं नियत गोदाम में सामग्री की अनलोडिंग सम्मिलित रहेगी।	परिवहन के कार्य में सयंत्र से प्रदाय स्थल तक सुरक्षित परिवहन एवं नियत गोदाम में सामग्री की अनलोडिंग सम्मिलित रहेगी।
3	18	10.2.2	वर्तमान व्यवस्था के अनुसार सयंत्र प्रभासी द्वारा आवंटित मात्रा की राशि का डिमांड ड्राफ्ट तैयार कर परिवहनकर्ता को उपलब्ध कराया जावेगा। सयंत्र प्रभासी से ड्राफ्ट प्राप्त कर नागरिक आपूर्ति निगम के रायसेन जिला कार्यालय से रिलीज आर्डर (आर.ओ.) सयंत्र के पक्ष में जारी कराने का दायित्व परिवहनकर्ता का होगा।	वर्तमान व्यवस्था के अनुसार सयंत्र प्रभासी द्वारा आवंटित मात्रा की राशि का डिमांड ड्राफ्ट तैयार कर परिवहनकर्ता को उपलब्ध कराया जावेगा। सयंत्र प्रभासी से ड्राफ्ट प्राप्त कर नागरिक आपूर्ति निगम के निर्दिष्ट जिला कार्यालय से रिलीज आर्डर (आर.ओ.) सयंत्र के पक्ष में जारी कराने का दायित्व परिवहनकर्ता का होगा।

Cont-----

4	18-19	10.2.5	<p>गेंहू/चावल के परिवहन कार्य में परिवहनकर्ता का दायित्व है कि वे नागरिक आपूर्ति निगम के गोदाम से बोरियाँ साफ-स्वच्छ, सूखी व सही हालत में गिनवाकर प्राप्त करें/करायें व उनका वजन भी सुनिश्चित कर लें एवं छल्ली से बोरी उठा ट्रक में लदाई एवं आवश्यक तुलार्ई इत्यादि कर संयंत्र के गोदाम में निर्दिष्ट स्थान पर पुनः छल्ली लगवायेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि संयंत्र प्रभासी को शत प्रतिशत गेंहू चावल प्राप्त हो। लोडिंग एवं अनलोडिंग आवश्यक हम्मालों की पर्याप्त व्यवस्था एवं परिवहन के दौरान फैले स्कंध को साफ कर व्यवस्थित रखने का पूर्ण उत्तरदायित्व परिवहनकर्ता का रहेगा।</p>	<p>गेंहू/चावल के परिवहन कार्य में परिवहनकर्ता का दायित्व है कि वे नागरिक आपूर्ति निगम के गोदाम से बोरियाँ साफ-स्वच्छ, सूखी व सही हालत में गिनवाकर प्राप्त करें/करायें व उनका वजन भी सुनिश्चित कर लें एवं छल्ली से बोरी उठा ट्रक में लदाई एवं आवश्यक तुलार्ई इत्यादि कर यह सुनिश्चित करेंगे कि संयंत्र प्रभासी को शत प्रतिशत गेंहू चावल प्राप्त हो। लोडिंग हेतु आवश्यक हम्मालों की पर्याप्त व्यवस्था का पूर्ण उत्तरदायित्व परिवहनकर्ता का रहेगा।</p>
5	19	10.5	<p>सामग्री की लोडिंग से ले कर अनलोडिंग के दौरान किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने की दशा में परिवहनकर्ता अथवा उसके सेवक/कर्मों के चोटग्रस्त होने या जनहानि होने पर परिवहनकर्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी रहेंगे। किसी दुर्घटना की स्थिति में किसी भी स्तर पर यदि सक्षम न्यायालय द्वारा क्षतिपूर्ति संबंधी आदेश/ निर्देश संयंत्र प्रभासी/निगम को दिये जाते हैं तो संयंत्र प्रभासी आवश्यक राशि की वसूली परिवहनकर्ता को देय स्वत्वों से कर सकेगा।</p>	<p>सामग्री की लोडिंग (गेंहू एवं चावल) से ले कर अनलोडिंग (पोषण आहार) के दौरान किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने की दशा में परिवहनकर्ता अथवा उसके सेवक/कर्मों के चोटग्रस्त होने या जनहानि होने पर परिवहनकर्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी रहेंगे। किसी दुर्घटना की स्थिति में किसी भी स्तर पर यदि सक्षम न्यायालय द्वारा क्षतिपूर्ति संबंधी आदेश/ निर्देश संयंत्र प्रभासी/निगम को दिये जाते हैं तो संयंत्र प्रभासी आवश्यक राशि की वसूली परिवहनकर्ता को देय स्वत्वों से कर सकेगा।</p>
6	FINANCIAL BID	Annexure 5	<p>RATES FOR TRANSPORTATION OF R.T.E. Rate per MT/ Per KM Including Loading and Unloading</p> <p>RATES FOR TRANSPORTATION OF R.T.E. Rate per MT/ Per KM Including Unloading</p>	

महाप्रबंधक (पोषण आहार)